न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 62/2011

1 जयराम आयु 27 वर्ष पुत्र प्यारेलाल दत्तक पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम सदीनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 श्याना आयु 55 वर्ष पुत्री गणपतराम।
2 रामप्यारी आयु 40 वर्ष पुत्री गणपतराम।
3 सावित्री आयु 25 वर्ष पत्नी जयराम समस्त जाति जाट निवासीगण सदीनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
4 पटवारी हल्का तिहावली।
5 अतिरिक्त तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री श्री फतेह मोहम्मद आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर दिनांक 28.03.2011 बउनवानी दावा केसर देवी आदि बनाम जयराम आदि वाद संख्या 40/2003 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भगवान सिंह धायल, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर

## –निर्णय–

दिनांकः– 31.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा संख्या 40/2003 मे पारित निर्णय दिनांक 28.03.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट प्रतिवादी के दत्तक पिता गणपतराम की कृषि भूमि खसरा नम्बर 5 रकबा 3.02 हैक्टेयर ग्राम सदीनसर तहसील फतेहपुर में अवस्थित है जिसको ताजिन्दगी गणपतराम काश्त करता रहा, उनके स्वर्गवास के बाद उसकी दत्तक माता केसर देवी काश्त करते रहे तथा केसर देवी के स्वर्गवास के बाद अकेला अपीलांट काश्त करता आ रहा है। अपीलांट प्रतिवादी के दत्तक पिता गणपराम ने अपीलांट को विधिवत गोद लेकर उसके पक्ष में गोदनामा निष्पादित करवाया जाकर उप पंजीयक महोदय फतेहपुर के यहां पंजीकृत करवा दिया, अपीलांट प्रतिवादी के दत्तक पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त पंजीकृत गोदनामा के आधार पर विरासत का नामान्तरण अपीलांट प्रतिवादी के ह कमे तस्दीक किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्रा कर दिया गया, उसी दौरान रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 कतिपय व्यक्तियों के बहकाने मे आकर, विवादित कृषि भूमियों पर उनका किसी भी प्रकार का कोई विवादित कृषि भूमियों पर कोई कब्जा काश्त न होते हुए भी व रेस्पोडेंट वादीगण का अपनी अपनी ससुराल मे अपने अपने पतियो के साथ आवास व निवास करने व अपने पति के हक व हिस्से में सहभागी होने के बावजूद मृतक गणपतराम के वारिस बताकर एक वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसको विचारण न्यायालय ने दिनांक 28.03.2011 को निर्णित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की 1/3 ,1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट प्रतिवादी मृतक गणपतराम का दत्तक पुत्र होने तथा दत्तक पिता मृतक गणपतराम के अपीलांट प्रतिवादी के अलावा अन्य कोई वारिस न होने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को अपीलांट के साथ–साथ गणपतराम का वारिस मानने में भारी कानूनी भूल की है। वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे भरे गये नामान्तकरण संख्या 494 दिनांक 09.05.2009 को चुनौती दिए बिना व उक्त नामान्तकरण निरस्त हुए बिना ही विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 के साथ–साथ खातेदार काश्तकार उद्घोषित किए जाने में भारी कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 (वादीगण) शादीशुद्वा महिलाए है जो शादी के बाद से ही अपनी अपनी ससुराल में आवास व निवास करती आ रही है तथा गणपत राम की कृषि भूमियों पर उनका कभी भी कोई कब्जा या काश्त नही रहा है, बिना कब्जे व काश्त, कब्जे की उद्घोषणा करवाये बिना ही विचारण न्यायालय ने वादीगण/ रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष मे उद्घोषणा कर खातेदार काश्तकार घोषित किए जाने मे विचारण न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। हिन्दू रिवाज के अनुसार पुत्री का विवाह होने के बाद उसका उसके पितृगृह मे अचल सम्पतियों पर कोई हक व अधिकार नही होता है बल्कि उनका हक व अधिकार हिस्सा पति के गृह पति के हक व हिस्से मे सहभागीदार के रूप मे संयोजित हो जाता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 वादीगण ने अपने वाद के अनुसार विवादित भूमियो मे अपना 1/2,1/2 हिस्सा उल्लेखित कर वाद प्रस्तुत किया, अपने वाद मे चाहे गये अनुतोष को वादीगण द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित न किए जाने के बावजूद भी विचारण न्यायालय ने वादीगण के वाद को निरस्त कर अनुतोष में संशोधन वादी को वादीगण के पक्ष मे निर्णित किये जाने में भारी भूल की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित किया है। वादी एवं प्रतिवादी गणपतराम के वारिस होना स्वीकृत तथ्य है। रेस्पोडेंट विधि अनुसार पिता की सम्पति में पुत्र के समान अधिकारिणी होती है। इस आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर